



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58328

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5778 वर्ष 2026

रवींद्र मेहता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

कात्यायनी, राजर्षि गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री दिलीप कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता सुश्री कात्यायनी, विद्वान अधिवक्ता कर रही हैं, आवेदक की ओर से; तथा श्री बीरेंद्र प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 483 के अधीन यह जमानत आवेदन आवेदक-**रवींद्र मेहता** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-231 वर्ष 2025, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन, थाना आदर्श मंडी, जनपद शामली में पंजीकृत मामले में विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए योजित किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्य यह हैं कि मूल शिकायतकर्ता महेश कुमार द्वारा दिनांक 05.12.2025 को पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग, मेरठ सेक्टर, मेरठ के कार्यालय में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसने 15.06.2024 को रुपये 90 लाख में अपनी पत्नी संगीता एवं भाभी नीलम के नाम पर 26 बीघा भूमि क्रय की, जिसका भूमि मूल्य रुपये 1,04,20,000/- दर्शाया गया था। सर्किल दर के अनुसार उस पर रुपये 5,01,500/- स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। उसकी पत्नी संगीता एवं भाभी नीलम के नाम पर स्टाम्प कमिशनर, कलेक्टर स्टाम्प, शामली की ओर से दिनांक 12.12.2024 का एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें भूमि का मूल्य रुपये 25,38,000/- की श्रेणी में दर्शाया गया था और उस पर स्टाम्प शुल्क की मांग की गई थी तथा एक निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात स्थान भिन्न पाया गया, जिस पर कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। बाद में दिनांक 13.02.2025 का एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके उत्तर में मूल शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। नोटिस के बाद कई तिथियां नियत होने और कोई निर्णय न होने पर वह अपने भांजे वर्दान के साथ दिनांक 24.11.2025 को सहायक स्टाम्प कमिशनर, शामली रवींद्र मेहता के कार्यालय में गया और उनसे मिला और उक्त नोटिस के निस्तारण के बारे में पूछताछ की, जिस पर उन्होंने उसे अपने क्लर्क अश्वनी से मिलने और बात करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उसका काम हो जाएगा अन्यथा वह इसी प्रकार भागता रहेगा। जब दोनों व्यक्ति क्लर्क अश्वनी से मिले तो उन्हें बताया गया कि कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है और रुपये 3,80,000/- स्टाम्प शुल्क देना होगा तथा रुपये 1,00,000/- रिश्वत के रूप में देने होंगे, अन्यथा बाजार दर के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा। उसने कहा कि वह संबंधित अधिकारी से बात करेगा और मामला निपटा देगा। शिकायतकर्ता ने पैसे देने में असमर्थता व्यक्त की, जिस पर उसके क्लर्क ने उसे एक सप्ताह बाद आने को कहा और तब वह पुनः संबंधित अधिकारी से राशि कम करने के बारे में बात करेगा,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परंतु रुपये 1,00,000/- की रिश्वत पूरी देनी होगी। बाद में मूल शिकायतकर्ता अपने भांजे के साथ पुनः दिनांक 02.12.2025 को क्लर्क अश्वनी से मिलने गया, जिसने बताया कि उसने अधिकारी से बात की है और उन्होंने कहा है कि रुपये 1,60,000/- स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त रुपये 1,00,000/- रिश्वत के साथ दें तथा कल उनसे मिलने आएंगे। मूल शिकायतकर्ता अगले दिन अर्थात् दिनांक 03.12.2025 को आया और क्लर्क अश्वनी के साथ सहायक स्टाम्प कमिशनर, शामली रवींद्र मेहता से मिला, जहां रवींद्र मेहता ने उनकी शिकायत सुनी और कहा कि उनका काम राशि के 50% पर निपटाया जाएगा और आगे अश्वनी से बात करने को कहा और उसे इसके बारे में बताएगा। अश्वनी ने तब उन्हें बताया कि अधिकारी ने शुरू में रुपये 1,00,000/- रिश्वत मांगी थी और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उनके द्वारा मामले की तिथि पर तय किया जाएगा, जो उस समय जमा किया जाएगा। मूल शिकायतकर्ता रवींद्र मेहता और उनके क्लर्क अश्वनी को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहता था। उनकी शिकायत पर प्री-ट्रैप कार्यवाही की गई और एक ट्रैप बिछाने का निर्णय लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा दो स्वतंत्र व्यक्तियों को ट्रैप टीम का सदस्य नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। मूल शिकायतकर्ता ने तब क्लर्क अश्वनी को रुपये 500/- के दो बंडल दिए, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद उसने अपने लिए कुछ पैसे मांगे। शिकायतकर्ता ने तब उससे अनुरोध किया कि वह काम के लिए अधिकारी से बात करे। उसने तब कहा कि वह काम के लिए अधिकारी से पूछेगा। शिकायतकर्ता फिर अंदर गया और बताया कि उसने क्लर्क अश्वनी को पैसे दे दिए हैं, जिसके बाद सामने बैठे व्यक्ति ने कहा कि वह काम देखेगा। उसने उसे सर्वोत्तम करने का आश्वासन दिया। क्लर्क अश्वनी को रुपये 1,00,000/- रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। रिकवरी मेमो एवं गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। इस प्रकार वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि यद्यपि मामले में आरोप-पत्र योजित किया जा चुका है, परंतु आवेदक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है; इसके लिए दिनांक 16.02.2026 के द्वितीय अनुपूरक शपथपत्र का पृष्ठ 22 रखा गया है। यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में ट्रैप 13:10 बजे बिछाया गया था, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट 21:49 बजे दर्ज की गई, जो लगभग 08 घंटे 30 मिनट बाद है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि ट्रैप की समस्त कार्यवाही थाने में की गई, अतः उसकी शुचिता गंभीर संदेह में है। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक जनपद शामली में सहायक महानिरीक्षक पंजीयन/सहायक स्टाम्प कमिश्नर के पद पर तैनात था। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष 15.05.2025 को निर्णीत इस न्यायालय के **आपराधिक अपील संख्या 2224, 2024 (आशीष मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय एवं **आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34833, 2022 (सुभाष पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)** 16.11.2022 को निर्णीत के निर्णय भी प्रस्तुत किए और निवेदन किया कि इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया था कि कार्यवाही थाने में की गई थी और इस प्रकार पूर्व के मामले में अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया था जबकि दूसरे मामले में जमानत दी थी। शपथपत्र के प्रस्तर 37 में वर्णित अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.12.2025 से जेल में बंद है।

6. *इसके विपरीत*, विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में कार्यवाही, ट्रैप कार्यवाही है। यह निवेदन किया गया है कि रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति हुई है, अतः श्रृंखला पूरी होती है। यह निवेदन किया गया है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत नामित दो स्वतंत्र साक्षी थे, जो छापेमारी के समय उपस्थित थे। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में रुपये 1,00,000/- की बरामदगी एक बड़ी राशि है और आवेदक एक सरकारी कर्मचारी है, जिसके समक्ष मूल शिकायतकर्ता का मामला लंबित था और जिसके बारे में उसे पंजीकरण के लिए योजित अभिलेख में स्टाम्प शुल्क की कमी के संबंध में नोटिस दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि मामले में पूरी जांच के बाद आरोप-पत्र योजित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि आशीष मिश्रा (उपरोक्त) प्रकरण विचारण के पश्चात था, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर अपील स्वीकार की थी, जबकि दूसरे प्रकरण सुभाष पटेल (उपरोक्त) में जमानत दी गई थी जिसमें रिश्वत की राशि रुपये 5000/- थी, अतः दोनों मामले वर्तमान मामले से पृथक विशेषताओं वाले हैं। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामला रिश्वत का मामला है, अतः आवेदक का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि आवेदक जनपद शामली में सहायक महानिरीक्षक पंजीयन/सहायक स्टाम्प कमिशनर के पद पर तैनात था। मूल शिकायतकर्ता की पत्नी एवं संबंधी के नाम से पंजीकरण का अभिलेख स्टाम्प शुल्क की कमी के आधार पर नोटिस किया गया था। मामला आवेदक के समक्ष सक्षम अधिकारी के रूप में विचाराधीन था। कुछ कम स्टाम्प शुल्क पर मामला निपटाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। उक्त मांग पर रुपये 1,00,000/- अदा किए गए। अदा की गई राशि एक बड़ी राशि है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कार्यवाही थाने में किए जाने के विशिष्ट कारण दिए गए हैं। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित दो स्वतंत्र साक्षी थे, जो ट्रैप टीम के सदस्य थे। जमानत का कोई आधार नहीं बनता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय इसे जमानत के योग्य मामला नहीं पाता, अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
9. यदि कोई लंबित आवेदन हों तो वे निस्तारित माने जाएंगे।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

20 मार्च 2026

ए.एस. राठौर

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”